कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2104 /गाजियाबाद/10947/2015, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 13 , 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : गाजियाबाद में दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे (ग्रीनफील्ड परियोजना) के निर्माण हेतु 14.018 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 1.035 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 15.053 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2761 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/02/2017/एफसी/479, दि0 11.01.17
शासन का पत्रांक–भा0स0 09/14–2–2017–800(193)/2016, दिनांक 19.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव की प्रतियॉ शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थी। भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, मेरठ के पत्रांक–3550/14–1, दि0 03.04.2017 द्वारा संशोधित प्रस्ताव की प्रतियॉ इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हैं। अतः वन संरक्षक, मेरठ के उक्त पत्र की छायाप्रति एवं संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियॉ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है, कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:प्रस्ताव की दो प्रतियॉ।

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>पत्रांक– / ,उक्तदिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, गाजियाबाद।
3– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, गाजियाबाद।

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।